न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास एम.आर.बागडिया आर.ए.एस
प्रकरण सं. 19/13/आवेदन अं.आदेश 251ए आरटीए

1. नारायण आयु 45 साल
2. छीतरमल आयु 38 साल

पुत्रगण पेमला जाति जाट निवासीगण पुन्याणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रार्थीगण

ब ना म

1. हणमान पुत्र नन्दाराम आयु 60 साल जाति जाट निवासी पुन्याणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

–अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

1. श्री आनन्द राड़ प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री सुरेन्द्रसिंह विश्राम वकील अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक– 12.02.2014

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 575 रकबा 1.87 है0 वाके ग्राम पुन्याणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि ख.नं. 578 रकबा 0.70 है0 में से होकर 6 मीटर चौड़ा एवं 60 मीटर लम्बा क्षेत्रफल 360 वर्गमीटर रास्ता चाहते है। चाहे गये रास्ता का अंकन संलग्न नक्शा में पीले रंग से दर्शाया गया है। चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को अपने खेत में पहुंचने हेतु अप्रार्थी सं. 1 की भूमि में से बताये गये उपरोक्त विवरण के रास्ते की पूर्ण आवश्यक है। उक्त रास्ते के बिना प्रार्थीगण अपने खातेदारी के उपयोग उपभोग करने से संपूर्णतया वंचित हो जायेगा। यह प्रार्थना पत्र हमारी खातेदारी भूमि के बेहतर उपयोग हेतु रास्ते के सम्बन्ध में आज्ञा प्रदान करने हेतु प्रस्तुत कर रहे है एवं इस्तदुआ प्रस्तुत करते है कि हमें हमारी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 575 रकबा 1.87 है0 ग्राम पुन्याणा तहसील दांतरारामगढ के उपयोग उपभोग हेतु वांछनीय रास्ता जो खसरा नं. 578 रकबा 0.70 है. में से 6 मीटर चौड़ा व 60 मीटर लम्बा जिसका कुल क्षेत्रफल 360 वर्गमीटर दिलवाने की कृपा करें।
2. आवेदन पेश होने दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया एवं नायब तहसीलदार, दांतारामगढ से रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से वकील श्री सुरेन्द्रसिंह विश्राम ने वकालत नामा पेश किया गया एवं आपति मौका निरीक्षण रिपोर्ट व जवाब आवेदन मय विधिक आपतियां पेश की गई जिसका जवाब वकील प्रार्थीगण द्वारा दिया गया जो शामिल मिसल है। नायब तहसीलदार, दांतारामगढ द्वारा मौके एवं अभिलेख अनुसार रिपोर्ट भिजवायी गई जो शामिल मिसल है।

उप खण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

3. बहस उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक प्रस्तावित खातेदारों की भूमियों के अतिरिक्त रास्ता उपलब्ध नहीं है जिसके लिए अप्रार्थी सं. 1 की आवेदित भूमियों मे से रास्ता उपलब्ध कराने का निवेदन किया। इसके विरूद्ध वकील अप्रार्थी सं. 1 ने कथन किया कि आवेदकगण रास्ते के जिलए वांछित कृषि भूमि खसरा नं. 575 व अन्य के खातेदार काश्तकार नहीं है वर्तमान में उक्त कृषि भूमियां मृतक खातेदार पेमला पुत्र नंदा के नाम दर्ज है कानूनन आवेदकगण को आवेदन करने का कोई अधिकार नहीं है। चूंकि मृतक खातेदार पेमला के उतराधिकारियों में उसकी पत्नी व 3 पुत्रियां भी है जिन्हें किसी भी रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया है। जवाब दाता भाई नारायणराम फौत हो चुका है तथा उसका उतराधिकार तय होना अभी शेष है इसलिए केवल जवाब दाता को पक्षकार बना लेने से जवाब दाता की खातेदारी भूमि खसरा नं. 578 के बाबत आवश्यक पक्षकारों के अभाव में प्रस्तुत आवेदन में कोई प्रभावी निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है तथा आवेदकगण के पिताजी पेमला की खातेदारी भूमियों में गैर मु. रास्ता की भूमि खसरा नं. 577/716 रकबा 0.09 है. पहले से ही कटानशुदा भूमि है। आवेदकगण एक ओर रास्ता प्राप्त करने का कोई हक अधिकार नहीं रखते है। नायब तहसीलदार, दांतारामगढ द्वारा मौका रिपोर्ट तहसील कार्यालय में ही बैठकर तैयार की गई है मौका रिपोर्ट पर किसी पक्षकार अथवा स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। मौका रिपोर्ट में दर्शित खसरा नं. 577 की दक्षिण सीमा पर दर्शाये गये त्रिकोणे के खसरा नं. जान बुझकर अंकित नहीं किये गये है। चूंकि उक्त दर्शित रास्ता की भूमि है जो कि आवेदकगण के पिताजी की खातेदारी शुदा भूमि है कानूनन उक्त त्रिकोण भूमि वर्तमान खसरा नं. 577 की पूर्वी सीमा पर आम सड़क रामगढ से रेनवाल तक स्थित होनी चाहिए थी। परन्तु गलत रूप से दर्शित होने के बावजूद सही नाप चौक करें तो आवेदकगण के पिताजी के खाते, कब्जे की भूमि खसरा नं. 577/716 की सीमा से सड़क तक दूरी 55 मीटर है जबकि रिपोर्ट तैयार कर्ता ने अधिक दूरी 64 मीटर को उचित माना है जो गलत है। प्रस्तुत रिपोर्ट निरस्त करके सक्षम पक्षकार व साक्षियों की उपस्थिति में पुनः भौतिक एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवायी जावें।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 575 ग्राम पुन्याणा तहसील दांतारामगढ में अवस्थित है। नायब तहसीलदार, दांतारामगढ की रिपोर्ट दिनांक 31.01.14 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पुन्याणा के खसरा नं. 575 में आने जाने के लिए कोई पुख्ता रास्ता खुला हुआ नहीं है। वादीगण ने बताया कि इससे पूर्व ख.नं. 578 के मध्य में से होकर ख.नं. 575 तक निरंतर पिछले 15–20 वर्षो से आ जा रहे थे जिसको अचानक खातेदार ने बंद कर दिया है जिससे अब कोई रास्ता नहीं है। मौके पर ख.नं. 575 में जाने के लिये सबसे कम दूरी का रास्ता 578 में ही जायज है। इसके अलावा अन्य खसरों की दूरी ख.नं. 578 की दूरी से अधिक है। अतः रास्ता ख.नं. 578 में से दिया जाना उचित है। खसरा नं. 578 के मध्य में से निकलने से खसरे के 2 टुकड़े होते है जिससे रास्ता ख.नं. 578 के पश्चिम दिशा में निकाले जाने से खसरे के दो टुकड़े होने से बच जायेगा। प्रार्थीगण के आने जाने के लिए कोई अन्य रास्ता नहीं है। इसलिए ख.नं. 578 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे ख.नं. 575 तक 6 मीटर चौड़ा तथा 64 मीटर लम्बाई में कुल 384 वर्गमीटर रास्ता दिया जाना उचित है। चूंकि वकील अप्रार्थी की आपति मौका रिपोर्ट सारहीन होने से खारिज किया जाता है एवं वकील अप्रार्थी के इस कथन को कि अप्रार्थी सं. 1 के भाई नारायणराम के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा प्रार्थीगण के उक्त

प्रस्तावित रास्ते के अलावा अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 575 में आने जाने के लिए अन्य कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदन 251–ए आरटीए के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाना न्यायोचित है। अतः नायब तहसीलदार, दांतारामगढ द्वारा ग्राम पुन्याणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की प्रस्तावित खातेदारी भूमि ख.नं. 578 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे ख.नं. 575 तक 6 मीटर चौड़ा तथा 64 मीटर लम्बाई में कुल 384 वर्गमीटर प्रस्तावित एवं अनुशंसित सार्वजनिक गै.मु.रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा डीएलसी दर की दुगुनी दर से ख.नं. 578 575 में से 78.03 **X** 384 वर्गमीटर यानि कुल रकम 29,963/– रूपये राजकोष में जमा कराने की शर्त पर सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग किये जाने हेतु सिवाय चक गै.मु. रास्ता घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा सिवाय चक गैर मु. रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज कर नियमानुसार राजस्व अभिलेख में रकबा व लगान का अंकन किया जावें एवं भूमि ख.नं. 578 575 के खातेदार हणमान व नारायणराम पि. नंदाराम कौम जाट सा.देह व उनके वारिसान को नियमानुसार आहरण करके भुगतान किया जावें। तहरीर जारी हो। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 12.02.2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.आर. बागड़िया)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

चूंकि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर पेज नं. 4 के नीचे से पंक्ति सं. 575 के स्थान पर 578 व पंक्ति नं. 7 में 575 के स्थान पर ख.नं. 578 [illegible] [illegible] से दुरुस्त किये जाते है)

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ